न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 546 सन 2020/ऑन लाईन नम्बरः– 2020/00975
अनवान :–

1. नेतराम पुत्र काशीराम जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी रामपुरा ढिल्लों तहसील व जिला सिरसा।

वादी

बनाम

1. सीतादेवी पुत्री काशीराम जाति कुम्हार निवासी रामपुरा ढिल्लों तहसील व जिला सिरसा
2. सुरस्ती देवी पुत्री काशीराम जाति कुम्हार निवासी रामपुरा ढल्लों तहसील व जिला सिरसा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
उपस्थित : श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 13/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 112/110 के खसरा न0 199/23.6302हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में काशीराम वल्द सांवलराम के नाम से दर्ज है।

काशीराम पुत्र सावंलराम का देहान्त हो चुका है काशीराम पुत्र सावंलराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है काशीराम पुत्र सावंलराम के देहान्त होने के बाद वाद भूमि के जायज व कानुनी हकदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो काशीराम पुत्र सावंलराम के नाम से दर्ज भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो वादी की बहने है एवं मृतक काशीराम पुत्र सावंलराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई वादी के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्साा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

काशीराम पुत्र सावंलराम ने अपने जीवन काल में अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत अपनी स्वैच्छा से वादी के पक्ष में करवाई गई थी काशीराम पुत्र सावंलराम के देहान्त होने के बाद काशीराम पुत्र सावंलराम की वसीयत के अनुसार वादी अकेला खातेदार काश्तकार हो गया है अर्थात काशीराम पुत्र सावंलराम की भूमि का अकेला खातेदार काश्तकार है इसलिये वाद भूमि अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पिता काशीराम पुत्र सावंलराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो काशीराम पुत्र सावंलराम की भूमि पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वाद भूमि में उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व निवेदन किया की काशीराम पुत्र सावंलराम ने अपने जीवनकाल में वसीयत भी वादी के पक्ष में करवाई गई थी उसके अनुसार भी वादी अकेला वाद भूमि का खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 112/110 के खसरा न0 199/23.6302हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में काशीराम वल्द सांवलराम के नाम से दर्ज है।

काशीराम पुत्र सावंलराम का देहान्त हो चुका है काशीराम पुत्र सावंलराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है काशीराम पुत्र सावंलराम के देहान्त होने के बाद वाद भूमि के जायज व कानुनी हकदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो काशीराम पुत्र सावंलराम के नाम से दर्ज भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो वादी की बहने है एवं मृतक काशीराम पुत्र सावंलराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई वादी के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्साा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

काशीराम पुत्र सावंलराम ने अपने जीवन काल में अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत अपनी स्वैच्छा से वादी के पक्ष में करवाई गई थी काशीराम पुत्र सावंलराम के देहान्त होने के बाद काशीराम पुत्र सावंलराम की वसीयत के अनुसार वादी अकेला खातेदार काश्तकार हो गया है अर्थात काशीराम पुत्र सावंलराम की भूमि का अकेला खातेदार काश्तकार है इसलिये वाद भूमि अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 112/110 के खसरा न0 199/23.6302हैक में से 1/12 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में काशीराम वल्द सांवलराम के नाम से दर्ज है।

काशीराम वल्द सांवलराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज व कानुनी वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो काशीराम वल्द सांवलराम की भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो काशीराम पुत्र सावंलराम की पुत्री एवं वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने वाद भूमि में अपने हक हिस्से की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है।

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने यह भी निवेदन किया की काशीराम वल्द सांवलराम ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत वादी के पक्ष में करवाई गई थी काशीराम वल्द सावंलराम के देहान्त होने के वाद वसीयत के अनुसार भी वादी वाद भूमि का अकेला खातेदार काश्तकार हो चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण ,1 ,2 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सवुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सवुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा धानसीया के खाता संख्या 112/110 के खसरा न0 199/23.6302हैक में से 1/12 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में काशीराम वल्द सांवलराम के नाम से दर्ज है में काशीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि वैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीव तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. नेतराम पुत्र काशीराम जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी रामपुरा ढिल्लों तहसील व जिला सिरसा।

वादी

बनाम

1 सीतादेवी पुत्री काशीराम जाति कुम्हार निवासी रामपुरा ढिल्लों तहसील व जिला सिरसा
2. सुरस्ती देवी पुत्री काशीराम जाति कुम्हार निवासी रामपुरा ढल्लों तहसील व जिला सिरसा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 546 सन 2020 निर्णय दिनांक– 13/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (– राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 112/110 के खसरा न0 199/23.6302हैक में से 1/12 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में काशीराम वल्द सांवलराम के नाम से दर्ज है में काशीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner